# FORM No.III
## फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ........................................ मुकाम ........................

जमनीबाई ........................ बनाम छीतर

करम मुकदमा ........................ नं. 87/17 ........ सन् ........

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/7/19 | पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे तहसीलदार बेगूं द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट / बटवारा प्रस्ताव से वादी अधिवक्ता सहमत है तथा उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा एक निवेदन चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 23/7/19 को पेश हो। [signature] | [signature] |
| 23/7/19 | पत्रावली आज पेश हुई। ~~उभयपक्ष उपस्थित~~। वादीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नही। पत्रावली मे प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र वादीया का अंतिम डिक्री किये जाने का, वादीया अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया। वादपत्र एवं फर्द बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादपत्र वादीया का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला बाबत नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/7/19 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़) | |

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 82/2017

जमनीबाई पत्नी छोटुलाल जी खटीक निवासी जुनी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादीया

बनाम

1. छीतर पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
2. मांगीलाल पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
3. मोहन पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ
4. कजोडीबाई पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूँ हाल मुकाम बोरबावडी तह0 बेगूँ
5. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ जिला चितौडगढ़
6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
7. भुमि विकास बैंक शखा ठुकराई तह. बेगूँ जिला चितौडगढ़
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री एन.एन.माली
अधिवक्ता वादीया
श्री बी.के. भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादी 1,2,3

निर्णय दिनांक 23.07.2019

### निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 1955

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. माली द्वारा वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त काश्त की कृषि आराजी ग्राम आंवलहेडा प.ह. आंवलहेडा बेगूँ में निम्न प्रकार से स्थित है:

| खाता संख्या | आराजी नं. | रकबा |
|---|---|---|
| 107 | 46 | 0.3000 |
| | 324 | 0.5830 |
| | किता– 2 | 0.8830 हैक्टर |

उपरोक्त कृषि आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण के सामलाती दर्ज होने के कारण वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के मध्य सीमा विवाद बना रहता है इसलिए वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से 4 को इस कृषि आराजीयात का तहसील कार्यालय मेंचलकर विभाजन कराने को दिनांक 28.08.2017 को कहा तो प्रतिवादीगण ने तहसील में चलकर बंटवारा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

करानेक से इन्कार कर दिया इसलिये वादीया कोक यह वाद पत्र अपने खाते की भूमि का विभाजन कराने हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में अंकित आराजीयात नं. 46 के हक हिस्से मे से वादीया का हिस्सा अलग करने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराये जावे व भूमि का विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

वाद पत्र विभाजन व घोषणा का होकर प्रतिवादी सं. 5 भूमिधारी जी एवं प्रतिवादी सं. 6 राजस्थान सरकार एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 भुमि विकास बैंक शाखा ठुकराई व बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई के उक्त भूमि का हिस्सा रहन दर्ज होने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र की चरण सं. 1 में अंकित कृषि आराजीयात में से आराजी नं. 46 मे से वादीया 5/12 एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 का 1/4 एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/12 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार से विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

वादीया का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से दावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री बी.के.भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, उक्त दावा पत्रावली प्रतिवादी सं. 4 की रजिस्टर्ड सम्मन से तलबी हेतु न्यायालय में विचाराधीन थी, उक्त दावा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प आंवलहेडा पर दिनांक 12.06.2018 को रखाया जाकर लोक अदालत की भावना से निम्न लिखित प्राथमिक डिकी किये जाने के आदेश पारित किया गयाः

" अतःवाद वादीया अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता हैक्। तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा ग्राम ऑवलहेडा प.ह. ऑवलहेडा तह0 बेगूँ के खाता संख्या107 की आराजी सं0 46, 324 किता– 2 कुल रकबा 0.8830 हैक्टर भूमि मे से आ.नं. 46 मे से वादीया का हिस्सा 5/12 एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 का 1/4 एवं पतिवादी सं0 4 का 1/12 हिस्सा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस प्रति के साथ पेश की जावे। डिकी पृथक से तैयार की जाकर तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावे"।

उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ को लिखा जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट पत्रावली में तलब की गई, तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 577 दिनांक 14.06.2019 के साथ पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया, प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादीया की बहस को सुना गया जिन्होने प्राप्त फर्द

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीया के वाद पत्र को अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

अतः वाद वादीया का अ.धा. 53—88 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा ऑवलहेडा प.ह. ऑवलहेडा की आराजी का विभाजन वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है:

1. वादीया श्रीमति जमनीबाई पति छोटुलाल खटीक निवासी जुनीबेगूँ तह. बेगूँ

| आ.नं. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 46 | 0.1250 | 0.58 |

2. प्रतिवादी मांगीलाल 10/21 मोहन 10/21 छीतर 1/21 पिता मेधा जाति बलाई सा0देह खातेदार रहन हिस्सा मांगीलाल का स.भु.वि. बैंक शाखा बेगूँ, रहन हिस्सा मोहन का बी.आर.जी.बी. बैंक शाखा ठुकराई के खाते

| आ.नं. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 46 | 0.1750 | 0.82 |

उपरोक्तानुसार वादीया एव प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23.7.19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 82/2017

जमनीबाई पत्नी छोटुलाल जी खटीक निवासी जुनी बेगूं तहसील बेगूं

वादीया

बनाम

1. छीतर पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूं
2. मांगीलाल पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूं
3. मोहन पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूं
4. कजोडीबाई पिता मेघा जाति बलाई निवासी आंवलहेडा तह0 बेगूं
   हाल मुकाम बोरबावडी तह0 बेगूं
5. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूं जिला चितौडगढ़
6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
7. भुमि विकास बैंक शखा ठुकराई तह. बेगूं जिला चितौडगढ़
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0 बेगूं जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

अतः वाद वादीया का अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, मौजा ऑवलहेडा प.ह. ऑवलहेडा की आराजी का विभाजन वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैः

1. वादीया श्रीमति जमनीबाई पति छोटुलाल खटीक निवासी जुनीबेगूं तह. बेगूं

| आ.नं. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 46 | 0.1250 | 0.58 |

2. प्रतिवादी मांगीलाल 10/21 मोहन 10/21 छीतर 1/21 पिता मेधा जाति बलाई सा0देह खातेदार रहन हिस्सा मांगीलाल का स.भु.वि. बैंक शाखा बेगूं, रहन हिस्सा मोहन का बी. आर.जी.बी. बैंक शाखा ठुकराई के खाते

| आ.नं. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 46 | 0.1750 | 0.82 |

उपरोक्तानुसार वादीया एव प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

निणर्य डिकी आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

23/7/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

Scanned by CamScanner